संख्या–1710 /33–3–2021–1802/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0, लखनऊ।

यती राज अनुभाग–3

लखनऊ: दिनांक: 10 सितम्बर 2021

विषयः– प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डों में 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत तकनीकी एवं प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि से वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8/489/2021–8/272/2018 दिनांक 04.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–1802/33–3–2019–1802/20 दिनांक 10.02.2020 के कम में सहायक विकास अधिकारी (पं0) कार्यालय में कम्प्यूटर के विभिन्न कार्यों की अधिकता के दृष्टिगत 14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद से विकास खण्ड स्तर पर पूर्व से तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2021–22 में लिए जाने तथा 14वें वित्त आयोग की प्रशासनिक मद से भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड स्तर पर पूर्व से तैनात कम्प्यूटर आपरेटर की सेवाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 14वें वित्त आयोग के प्रशासनिक मद से भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

27.8.21

भवदीय,

10.9.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.